

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 11, शक 1938

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

नगर पंचायत माण्डव के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही का कार्यवाही विवरण

क्र.-564-स्थानीय निर्वाचन-2016.—

धार, दिनांक 17 नवम्बर 2016

(1) दिनांक 11 नवम्बर 2016 को कलेक्टर कार्यालय (सभागृह) में धार जिले की नगर पंचायत माण्डव के वार्डों की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29(क) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों के आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 5 को प्रयोग में लाते हुए की गई हैं.

(2) कार्यवाही समय दोपहर 12.00 बजे प्रारंभ की गई जिसमें आम नागरिक एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति पृथक् से ली गयी है.

(3) आरक्षण की कार्यवाही में उपस्थित में सभी जनप्रतिनिधियों को आरक्षण संबंधित जानकारी दी गई कि नगर पंचायत माण्डव में निर्वाचन वर्ष 2012 में सम्पन्न हुए हैं इसलिये आगामी निर्वाचन 2017 के लिये आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है. सर्वप्रथम उपस्थित जनप्रतिनिधियों से आरक्षण के नियम तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया. आरक्षण की प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर की गयी है.

(4) जिले की नगर पंचायत माण्डव के 15 वार्डों की वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या 10657 है. कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 215 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8989 है.

(5) कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 215 होने से कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 2.01 हैं एवं अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 8989 होने से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 84.34 है.

(6) अनुसूचित जाति के लिये कुल 15 वार्डों का 2.01 प्रतिशत के मान से वार्डों के स्थानों का आरक्षण प्रतिशत 0.30 अर्थात् 0.50 प्रतिशत से कम होने के कारण इस वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है।

(7) अनुसूचित जनजाति के लिये 15 वार्डों की जनसंख्या का प्रतिशत 84.34 होने से वार्डों की संख्या का आरक्षण 12.65 प्रतिशत होता है। अतः इस वर्ग हेतु जनसंख्या पत्रक अनुसार जनसंख्या वार्ड अवरोही क्रम में कुल 13 वार्डों को आरक्षित किया गया है। जो क्रमशः वार्ड क्र. 14, 12, 15, 11, 06, 09, 07, 08, 13, 10, 03, 01, 05 घोषित किये गये हैं।

(8) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने से नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नहीं किया गया है।

(9) उपरोक्तानुसार कुल 15 वार्डों में से कुल 13 वार्ड अ.ज.जा. हेतु आरक्षित होने से शेष वार्ड 02 ही बचते हैं जो अनारक्षित होंगे जो कि क्रमशः वार्ड क्रमांक 02 से 04 होंगे। अ.जा. का प्रतिशत 0.50 से कम होने के कारण नियमानुसार कोई वार्ड अ.जा. हेतु आरक्षित नहीं किया गया है साथ ही अ.जा. एवं अ.ज.जा. दोनों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कोई भी वार्ड पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित नहीं किया गया है।

(10) नगर पंचायत मांडव के वर्ष 2016 के आम निर्वाचन हेतु कुल 50 प्रतिशत वार्ड महिलाओं के आरक्षित किये जाना है अर्थात् कुल 15 वार्डों में से कुल 08 वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखे गये हैं तथा शेष वार्ड मुक्त होंगे। वर्ष 2016 में वार्ड क्र. 14, 12, 15, 11, 06, 09, 07, 08, 13, 10, 03 इस प्रकार कुल 13 वार्ड अ.ज.जा. हेतु आरक्षित होने से इन्हीं में से महिलाओं का आरक्षण भी रोटेशन पद्धति से किया जाने पर वार्ड क्र. 14, 15, 11, 08, 10, 03, इस प्रकार कुल 06 वार्ड अ.ज.जा. महिला हेतु आरक्षित किये गये हैं। शेष वार्ड क्रमांक 12, 06, 09, 07, 13 कुल 05 वार्ड अ.ज.जा. मुक्त हुए हैं। रोटेशन पद्धति अनुसार वार्ड क्र. 01 एवं वार्ड क्र. 05 अ.ज.जा. मुक्त अथवा अ.ज.जा. महिला होंगे इसका विनिश्चय लाट डालकर किये जाने की कार्यवाही अन्तर्गत लाट डालने पर लाट में वार्ड क्र. 05 निकलने पर यह वार्ड अ.ज.जा. मुक्त हुआ तथा वार्ड क्र. 1 अ.ज.जा. महिला रहेगा। इस प्रकार वार्ड क्र. 12, 06, 09, 07, 13, 05, कुल 06 वार्ड अ.ज.जा. मुक्त एवं वार्ड क्र. 14, 15, 11, 08, 10, 03, 01, कुल 07 वार्ड अ.ज.जा. महिला घोषित किये जाते हैं।

(11) शेष रहे वार्ड क्र. 02 एवं 04 अनारक्षित होने से रोटेशन पद्धति अनुसार वर्ष 2016 में वार्ड क्र. 2 अनारक्षित महिला एवं वार्ड क्र. 04 अनारक्षित मुक्त घोषित किये जाते हैं।

(12) वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर पंचायत मांडव हेतु वर्ष 2016 के लिए आरक्षण की वार्डवार जानकारी निम्नानुसार है:—

अनु. क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)	आरक्षित/अनारक्षित (3)	वर्ग (4)
1	वार्ड क्र. 01 गदाशाह वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
2	वार्ड क्र. 02 श्रीराममंदिर वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
3	वार्ड क्र. 03 जहाजमहल वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
4	वार्ड क्र. 04 जामी मस्जिद वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
5	वार्ड क्र. 05 रामपुरा वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
6	वार्ड क्र. 06 लालबंगला वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
7	वार्ड क्र. 07 दरिया खां वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
8	वार्ड क्र. 08 नीलकण्ठ वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
9	वार्ड क्र. 09 तारापुर गेट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
10	वार्ड क्र. 10 ईको पाइन्ट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला

(1)	(2)	(3)	(4)
11	वार्ड क्र. 11 रानी रूपमती वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
12	वार्ड क्र. 12 भगवानिया गेट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
13	वार्ड क्र. 13 मानसिगी वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
14	वार्ड क्र. 14 कनडीपुरा वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
15	वार्ड क्र. 15 जहागीरपुर गेट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला

उपरोक्तानुसार आरक्षण में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है:—

1. आरक्षण की संपूर्ण कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 में निहित निर्देशों के अनुरूप की गई है.
2. आरक्षण की कार्यवाही वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर की गई है.
3. आरक्षण में नियमानुसार 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण किया गया है.
4. अ.ज.जा. एवं अ.जा. की जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक होने से पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं किया गया है.

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

**कार्यालय, नगर परिषद् मांडव, जिला धार (म. प्र.)**

**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डवार जनसंख्या पत्रक**

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड की कुल जनसंख्या	वार्ड में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या	प्रतिशत	वार्ड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या	प्रतिशत	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	गदाशाह वार्ड क्र.-1	736	4	0.54	424	57.60	
2	श्रीराम मंदिर वार्ड क्र.-2	660	171	25.90	265	40.15	
3	जहाजमहल वार्ड क्र.-3	1011	1	0.09	911	90.10	
4	जामा मस्जिद वार्ड क्र.-4	527	19	3.60	98	18.59	
5	रामपुरा वार्ड क्र.-5	744	19	2.55	397	53.36	
6	लालबंगला वार्ड क्र.-6	669	0	0	668	99.85	
7	दरियों खों वार्ड क्र.-7	422	0	0	422	100	
8	नीलकण्ठ वार्ड क्र.-8	993	1	0.01	980	98.69	
9	तारापुर गेट वार्ड क्र.-9	517	0	0	515	99.61	
10	ईक्कोपाईण्ट वार्ड क्र.-10	811	0	0	768	94.69	
11	रानी रूपमती वार्ड क्र.-11	595	0	0	595	100	
12	भगवान्या गेट वार्ड क्र.-12	777	0	0	777	100	
13	मानसिगी वार्ड वार्ड क्र.-13	706	0	0	680	96.31	
14	कनडीपुरा वार्ड क्र.-14	792	0	0	792	100	
15	जहॉगीरपुर गेट वार्ड क्र.-15	697	0	0	697	100	
	कुल	.10657	215	2.01	8989	84.34	

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

धार, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र.-561-स्थानीय निर्वाचन-2016.—दिनांक 11 नवम्बर 2016 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम, 1994 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी, नगर परिषद् माण्डव के वार्डों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार—आरक्षित करते हुए नियम 7 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूँ:—

सारणी

अनु. क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)	आरक्षित/अनारक्षित (3)	वर्ग (4)
1	वार्ड क्र. 01 गदाशाह वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
2	वार्ड क्र. 02 श्रीराममंदिर वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
3	वार्ड क्र. 03 जहाजमहल वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
4	वार्ड क्र. 04 जामा मस्जिद वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित मुक्त
5	वार्ड क्र. 05 रामपुरा वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
6	वार्ड क्र. 06 लालबंगला वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
7	वार्ड क्र. 07 दरिया खां वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
8	वार्ड क्र. 08 नीलकण्ठ वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
9	वार्ड क्र. 09 तारापुर गेट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
10	वार्ड क्र. 10 ईको पाइन्ट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
11	वार्ड क्र. 11 रानी रूपमती वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
12	वार्ड क्र. 12 भगवानिया गेट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
13	वार्ड क्र. 13 मानसिगी वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. मुक्त
14	वार्ड क्र. 14 कनडीपुरा वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला
15	वार्ड क्र. 15 जहागीरपुर गेट वार्ड	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. महिला

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

क्र.-563-स्थानीय निर्वाचन-2016

धार, दिनांक 17 नवम्बर 2016

नगर पंचायत मांडव, जिला धार के वार्डों का आरक्षण

वार्ड आरक्षण दिनांक 11 नवम्बर 2016

अनु. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	2016 अनुसार वार्ड आरक्षण की स्थिति वार्ड क्रमांक (4)	वार्ड का नाम (5)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	0	-	-



धारा 405 (3) के तहत राज्यपाल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, उक्त अधिसूचना के क्रम में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 126 के तहत मैं, श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर, हरदा निम्न ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों को हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किये जाने की अधिसूचना अनुसूची में प्रकाशित करता हूँ:—

### अनुसूची

अ. क्र.	विस्थापन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायत	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम	तहसील	विस्थापित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हरदाखुर्द	हरदाखुर्द, रिछाडिया एवं हरदाखास	हरदा	ग्राम की संपूर्ण सीमा
2	बैरागढ़	बैरागढ़ एवं खेडीमेहमूदाबाद	हरदा	ग्राम की संपूर्ण सीमा
3	उडा	उडा एवं कुलहरदा	हरदा	ग्राम की संपूर्ण सीमा
4	भाटपरेटिया	दूधकच्छ	हरदा	ग्राम दूधकच्छ की संपूर्ण सीमा
5	रहटाखुर्द	बिरजाखेडी	हरदा	ग्राम बिरजाखेडी की संपूर्ण सीमा

श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर.